सभी सस्थाओ मे 20 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के लिए आरक्षित करना अपेक्षित है । शैक्षिक सस्थाओ को यह सलाह भी दी जाती है कि किसी भी पाठ्यक्रम मे दाखिले के लिए अको की न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशतता मे 5 प्रतिशत की रियायत दें और यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के लिए रखे गए 20 प्रतिशत स्थान नही भर पाते तो उस दिशा मे अको मे और आगे छूट दी जाए । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने उच्च शिक्षा की सस्थाओ मे पिछडी जातियो के लिए स्थानो के ऐसे आरक्षण के लिए कोई मार्गदर्शी रूप रेखाए नही बताई है ।

(ख) मत्रालय मे उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयो ने पिछडी जातियो से सबधित छात्रो के लिए स्थान आरक्षित किए है —

1 बम्बई
2 भागलपुर
3 बगलौर
4 कुरुक्षेत्र
5 कश्मीर
6 कर्नाटक
7 मद्रास
8 मैसूर
9 मदुरई
10 मगध
11 मराठावाडा
12 महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ
13 मराठावाड़ा कृषि
14 पजाब
15. पंजाबी
16 पटना
17 पूना
18 श्री वैंकटेश्वर
19 सरदार पटेल
20 शिवाजी
21 कोचीन
22 नागपुर

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा रायपुर जिले मे रखे गए गेहू का खाने योग्य न रहना

1156 **श्री दया राम शाक्य** क्या कृषि और सिंचाई मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का 13 लाख रुपयो के मल्य का गेहू जो मध्य प्रदेश के रायपुर जिल म खुले म रखा था, मनुष्यो के खाने लायक नही रहा, और

(ख) यदि हा, तो सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के सम्बद्ध अधिकारियो के विरुद्ध जिन्होने लापरवाही दिखाई, क्या कायवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) जी नही । यह क्षति खाद्यान्नो को डिपो लाने समय मार्ग म हुई थी जब तूफानी मौसम के फलस्वरूप 211 खुले वैगनो पर डाली गयी तिरपालो के हट जाने के कारण खाद्यान्न ला रहे बोरे वर्षा से भीग गये थे ।

(ख) प्रश्न है ही नही उठता । क्योकि यह क्षति भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियो की किसी लापरवाही के कारण नही हुई थी बल्कि मार्ग मे अपरिहार्य कारणो के नाते हुई थी ।